रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247201
CG-DL-E-10072023-247201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2023/आषाढ़ 19, 1945
No. 393] NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 2023/ASHADHA 19, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 492(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आपत्ति या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा Email: comment-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा है।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग में, उप नियम (4) में, द्वितीय परंतुक के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा:-

"बशर्ते कि 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद निर्मित वाहनों में एन2 और एन 3 श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम से सुसज्जित केबिन का परीक्षण समय-समय पर यथा संशोधित आयएस14618:2022 के अनुसार किया जाएगा।"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ) दिनांक ………… के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2023

G.S.R. 492(E).—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, in sub-rule (4), after the second proviso, following shall be inserted:-

"Provided further that vehicles manufactured on or after 1st January 2025 shall be fitted with an air conditioning system for cabin of vehicles of N2 and N3 category. The testing of the cabin fitted with air-conditioning system shall be as per IS14618:2022, as amended from time to time."

[F. No. RT-11028/02/2016-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA